

जो लोग इज़रायल के साथ खड़े हैं, वे अदालत में भी इज़रायल के साथ खड़े होंगे

परिचय

2 मार्च, 2025 से, इज़रायल ने गाजा पर पूर्ण घेराबंदी लागू की है, जिसमें सभी मानवीय सहायता, जिसमें भोजन, पानी और चिकित्सा आपूर्ति शामिल हैं, को रोक दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप विनाशकारी परिणाम हुए हैं, जिनमें व्यापक भुखमरी, मृत्यु और स्वास्थ्य प्रणालियों का पतन शामिल है। रिपोर्टों में बच्चों की कंकाल जैसी स्थिति का वर्णन किया गया है, जो नाज़ी एकाग्रता शिविरों से मुक्त हुए लोगों की याद दिलाते हैं, और अस्पताल आपूर्ति की कमी के कारण मरीजों का इलाज करने में असमर्थ हैं। इन कार्यों को, जिन्हें एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा नरसंहार के रूप में नामित किया गया है और हाल के नरसंहार विद्वानों के सर्वेक्षण द्वारा समर्थित है, अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL), यहूदी कानून (हलाखा), और 2024 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) द्वारा आदेशित निवारक उपायों का उल्लंघन करते हैं। दक्षिण अफ्रीका का इज़रायल के खिलाफ ICJ में दायर नरसंहार का मामला, जो दिसंबर 2023 में शुरू हुआ, 1948 के नरसंहार संधि के तहत **actus reus** (भौतिक कार्य) और **mens rea** (इरादा) के सबूतों से मजबूत होता है। नरसंहार संधि और संरक्षण की जिम्मेदारी (R2P) ढांचे के तहत कानूनी और नैतिक दायित्व, जो अमेरिकी विदेशी सहायता अधिनियम द्वारा प्रबलित हैं, नरसंहार को रोकने की वैश्विक अनिवार्यता को रेखांकित करते हैं, जो “अपराधों का अपराध” है। यह निबंध इन उल्लंघनों, ICJ आदेशों, और दक्षिण अफ्रीका के मामले का समर्थन करने वाले सबूतों को विस्तार से बताता है, यह जोर देता है कि वे राजनीतिक नेता जो चल रहे नरसंहार के मजबूत सबूतों के बावजूद इज़रायल का समर्थन करते रहते हैं, उन्हें अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कानून के तहत नरसंहार और युद्ध अपराधों में सहायता और उकसाने के आरोपों का सामना करना पड़ सकता है, जो इस संकट के गहन नैतिक और ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करता है।

अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन

अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून, जो 1949 की जेनेवा संधियों, अतिरिक्त प्रोटोकॉल, और प्रथागत IHL द्वारा शासित है, सशस्त्र संघर्षों के दौरान नागरिकों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट मानक निर्धारित करता है। इज़रायल के गाजा में कार्य कई मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं:

1. नागरिकों की सुरक्षा और भुखमरी का निषेध:

- चौथी जेनेवा संधि (अनुच्छेद 27) नागरिकों के साथ मानवीय व्यवहार को अनिवार्य करती है, जो अनावश्यक पीड़ा पैदा करने वाली कार्रवाइयों को प्रतिबंधित करती है। अतिरिक्त प्रोटोकॉल I का अनुच्छेद 54 और प्रथागत IHL (ICRC नियम 53) स्पष्ट रूप से नागरिकों की भुखमरी को युद्ध की एक विधि के रूप में प्रतिबंधित करते हैं। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) का रोम संनियम जानबूझकर भुखमरी को युद्ध अपराध के रूप में वर्गीकृत करता है (अनुच्छेद 8(2)(b)(xxv))।
- इज़रायल की घेराबंदी, जो मार्च 2025 से सभी भोजन, पानी और चिकित्सा आपूर्ति को रोक रही है, गाजा के 2.3 मिलियन नागरिकों को अंधाधुंध निशाना बनाती है, जिसके परिणामस्वरूप भुखमरी से मृत्यु और गंभीर कुपोषण हुआ है, जैसा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल (2025) द्वारा रिपोर्ट किया गया है। यह नरसंहार का गठन करता है, जैसा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और नरसंहार विद्वानों के सर्वेक्षण द्वारा पुष्टि की गई है, जो तर्क देते हैं कि जानबूझकर वंचित करना नरसंहार संधि के मानदंडों को पूरा करता है (एमनेस्टी इंटरनेशनल, 2025; नरसंहार विद्वानों का सर्वेक्षण, 2024)।

2. मानवीय सहायता की सुविधा देने की बाध्यता:

- अतिरिक्त प्रोटोकॉल I का अनुच्छेद 70 और ICRC नियम 55 पार्टियों को नागरिकों के लिए तेजी से और बिना रुकावट के मानवीय सहायता की अनुमति देने की आवश्यकता रखते हैं। इज़रायल का सहायता पर पूर्ण प्रतिबंध, जिसमें अमेरिका द्वारा वित्त पोषित काफिले शामिल हैं, इस दायित्व का उल्लंघन करता है, जिसमें

UNRWA ने 14 सप्ताह से अधिक समय तक गाजा में कोई सहायता न पहुंचने की सूचना दी है (UNRWA स्थिति रिपोर्ट #172, 2024)।

3. सामूहिक दंड:

- चौथी जेनेवा संधि का अनुच्छेद 33 सामूहिक दंड को प्रतिबंधित करता है। घेराबंदी हमला की कार्रवाइयों के लिए गाजा की पूरी आबादी को दंडित करती है, जो युद्ध अपराध का गठन करता है, जैसा कि ह्यूमन राइट्स वॉच (2023) द्वारा उजागर किया गया है।

4. अमेरिकी विदेशी सहायता अधिनियम (धारा 620I):

- धारा 620I उन देशों को सैन्य सहायता प्रदान करने पर रोक लगाती है जो अमेरिकी मानवीय सहायता को प्रतिबंधित करते हैं। इज़रायल का अमेरिका द्वारा वित्त पोषित सहायता का नाकाबंदी, जैसा कि एक लीक स्टेट डिपार्टमेंट मेमो (DAWN, 2025) में दर्ज किया गया है, इस कानून का उल्लंघन करता है, जिसमें सीनेटर बर्नी सैंडर्स जैसे सांसदों ने सैन्य सहायता को निलंबित करने की मांग की है (सैंडर्स, 2024)। यह नरसंहार को रोकने की नैतिक और कानूनी अनिवार्यता को दर्शाता है, जो नरसंहार संधि के ऐसे अपराधों के खिलाफ कार्रवाई के आह्वान के साथ संरेखित है।

यहूदी कानून (हलाखा) का उल्लंघन

यहूदी कानून, या हलाखा, जो तोराह, तल्मुद और रब्बी व्याख्याओं पर आधारित है, युद्ध में भी नैतिक आचरण पर जोर देता है। प्रमुख सिद्धांतों में शामिल हैं:

1. पिकुआच नेफेश:

- पिकुआच नेफेश** (जीवन बचाने) का सिद्धांत, जो तल्मुद (योमा 85b) में निहित है, लगभग सभी अन्य आज्ञाओं से ऊपर मानव जीवन को संरक्षित करने को प्राथमिकता देता है। घेराबंदी, जो भुखमरी और मृत्यु का कारण बनती है, इस सिद्धांत का सीधे उल्लंघन करती है क्योंकि यह अनावश्यक रूप से नागरिकों के जीवन को खतरे में डालती है।

2. युद्ध के नियम (दिन मिलचामा):

- मैमोनाइड्स, **मिश्रे तोराह** (किंग्स और उनके युद्धों के नियम 6:7) में, यह निर्धारित करते हैं कि घेराबंदी के दौरान एक पक्ष को खुला रखना होगा ताकि नागरिकों को आवश्यक वस्तुओं तक पहुंच मिल सके, जिससे पूर्ण नाकाबंदी निषिद्ध हो। इज़रायल की पूर्ण घेराबंदी, जो सभी प्रवेश बिंदुओं को रोकती है, इस नियम का उल्लंघन करती है, जिससे गैर-लड़ाकों, विशेष रूप से बच्चों, में व्यापक पीड़ा होती है, जैसा कि OHCHR (2025) द्वारा रिपोर्ट किया गया है।

यहूदी मूल्यों के साथ पहचान रखने वाले राज्य के रूप में, इज़रायल की कार्रवाइयाँ हलाखा के नैतिक आदेशों, विशेष रूप से **पिकुआच नेफेश**, का उल्लंघन करती हैं, जो जीवन संरक्षण को प्राथमिकता देने की मांग करता है।

ICJ के निवारक उपायों का उल्लंघन

ICJ ने, दक्षिण अफ्रीका के इज़रायल के खिलाफ नरसंहार मामले में, 2024 में नरसंहार को रोकने और मानवीय पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बाध्यकारी अस्थायी उपाय जारी किए:

- 26 जनवरी, 2024:** इज़रायल को नरसंहार संधि के अनुच्छेद II के तहत कृत्यों को रोकने, जिसमें हत्या, गंभीर नुकसान, और भौतिक विनाश की ओर ले जाने वाली परिस्थितियों का निर्माण शामिल है, और मानवीय सहायता सुनिश्चित करने का आदेश दिया (ICJ आदेश, 2024)।
- 28 मार्च, 2024:** बिगड़ती परिस्थितियों, जिसमें अकाल शामिल है, के कारण, ICJ ने गाजा में बिना रुकावट के मानवीय सहायता की आवश्यकता को दोहराया (ICJ आदेश, 2024)।
- 24 मई, 2024:** इज़रायल को राफा में अपनी सैन्य कार्रवाई रोकने और ऐसी परिस्थितियों को सुनिश्चित करने का आदेश दिया जो पलस्तीनी लोगों के भौतिक विनाश की ओर न ले, जिसमें बिना रुकावट के सहायता पहुंच पर जोर दिया गया (ICJ आदेश, 2024)।

मार्च 2025 से इज़रायल की पूर्ण घेराबंदी, जो सभी सहायता को रोकती है और भुखमरी का कारण बनती है, इन आदेशों का सीधे उल्लंघन करती है। इज़रायली अधिकारियों के बयान, जैसे कि वित्त मंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच का अप्रैल 2025 का बयान कि “गाजा में एक भी गेहूं का दाना नहीं जाएगा” (मिडिल ईस्ट आई, 2025), गैर-अनुपालन को दर्शाते हैं, जो दक्षिण अफ्रीका के मामले को मजबूत करता है।

नरसंहार संधि के तहत कानूनी दायित्व

1948 की नरसंहार रोकथाम और दंड संधि राज्यों पर नरसंहार को रोकने और दंडित करने के लिए विशिष्ट दायित्व लागू करती है, जिसे राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय, या धार्मिक समूह को पूर्ण या आंशिक रूप से नष्ट करने के इरादे से किए गए कृत्यों के रूप में परिभाषित किया गया है (अनुच्छेद II)। प्रमुख दायित्वों में शामिल हैं:

1. रोकथाम (अनुच्छेद I):

- राज्यों को अपनी शक्ति के भीतर सभी उपाय करने चाहिए ताकि नरसंहार को रोका जा सके, जिसमें कूटनीतिक, आर्थिक, और सैन्य कार्रवाइयाँ शामिल हैं जो चल रहे नरसंहारी कृत्यों को रोकने के लिए हैं। ICJ का 2007 का **बोस्निया बनाम सर्बिया** फैसला स्पष्ट करता है कि राज्यों को तब कार्य करना चाहिए जब उनके पास नरसंहार करने वाले अभिनेताओं पर प्रभाव हो, जैसे कि हथियारों की आपूर्ति या राजनीतिक समर्थन के माध्यम से (ICJ, 2007)।
- गाजा में, इज़रायल को सैन्य या आर्थिक सहायता प्रदान करने वाले राज्य, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, और जर्मनी, को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका समर्थन नरसंहार को सुगम न करे। कार्य न करने से इस दायित्व का उल्लंघन होने का जोखिम है।

2. दंड (अनुच्छेद III):

- राज्यों को नरसंहार के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को अभियोजित करना चाहिए या उन्हें प्रत्यर्पित करना चाहिए, जिसमें सहभागिता भी शामिल है (अनुच्छेद III)। यह इज़रायली अधिकारियों पर लागू होता है, जैसा कि नवंबर 2024 में भुखमरी के लिए युद्ध अपराध के रूप में ICC द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट द्वारा प्रमाणित है (ICC, 2024)।

3. गैर-सहभागिता (अनुच्छेद III(e)):

- राज्यों को नरसंहार में सहभागी नहीं होना चाहिए, जिसमें नरसंहारी कृत्यों को करने वाले अभिनेताओं को हथियार या समर्थन प्रदान करना शामिल है। इज़रायल को हथियार प्रदान करने वाले देश सहभागिता के जोखिम में हैं यदि ये घेराबंदी को सुगम करते हैं (एमनेस्टी इंटरनेशनल, 2025)।

4. न्यायक्षेत्र और सहयोग (अनुच्छेद V-VI):

- राज्यों को संधि को लागू करने के लिए घरेलू कानून बनाना चाहिए और ICJ और ICC जैसे अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों के साथ सहयोग करना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका का मामला, जो 30 से अधिक राज्यों द्वारा समर्थित है, इस सहयोग को दर्शाता है, जो ICJ को इज़रायल को जवाबदेह ठहराने के लिए दबाव डालता है (ICJ प्रेस विज्ञप्ति, 2025)।

संरक्षण की जिम्मेदारी (R2P) के तहत कानूनी दायित्व

2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित संरक्षण की जिम्मेदारी (विश्व शिखर सम्मेलन परिणाम दस्तावेज़, परा. 138-139), राज्यों को नरसंहार, युद्ध अपराधों, जातीय सफाई और मानवता के खिलाफ अपराधों से आबादी की रक्षा करने के लिए बाध्य करती है। R2P में तीन स्तंभ शामिल हैं:

1. स्तंभ I: राज्य की जिम्मेदारी:

- प्रत्येक राज्य को अपनी आबादी को नरसंहार से बचाने की जिम्मेदारी है। गाजा में कब्जा करने वाली शक्ति के रूप में इज़रायल, भुखमरी और मृत्यु का कारण बनने वाली घेराबंदी लागू करके इस दायित्व में विफल रहता है (OHCHR, 2025)।

2. स्तंभ II: अंतरराष्ट्रीय सहायता:

- अंतरराष्ट्रीय समुदाय को कूटनीतिक, मानवीय और अन्य साधनों के माध्यम से राज्यों की सहायता करनी चाहिए। जॉर्डन और मिस्र जैसे राज्यों ने सहायता वितरण का प्रयास किया है, लेकिन इज़रायल की नाकाबंदी

इन प्रयासों को बाधित करती है (मिडिल ईस्ट आई, 2025)।

3. स्तंभ III: समय पर और निर्णायक प्रतिक्रिया:

- यदि कोई राज्य अपनी आबादी की रक्षा करने में विफल रहता है, तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के माध्यम से सामूहिक कार्रवाई करनी चाहिए। ICJ आदेशों के साथ इज़रायल का गैर-अनुपालन इस दायित्व को ट्रिगर करता है, हालांकि अमेरिकी वीटो ने कार्रवाई को अवरुद्ध कर दिया है (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, 2024)।

नरसंहार के सबूत: Actus Reus और Mens Rea

दक्षिण अफ्रीका का नरसंहार मामला तर्क देता है कि इज़रायल के गाजा में कार्य, जिसमें 2025 की घेराबंदी शामिल है, नरसंहार का गठन करते हैं, जैसा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और नरसंहार विद्वानों द्वारा पुष्टि की गई है:

1. Actus Reus (भौतिक कार्य):

- नरसंहार संधि (अनुच्छेद II) नरसंहार को हत्या, गंभीर शारीरिक या मानसिक नुकसान, और भौतिक विनाश की ओर ले जाने वाली जीवन की परिस्थितियों को लागू करने जैसे कृत्यों के रूप में परिभाषित करती है। इज़रायल की घेराबंदी इन मानदंडों को पूरा करती है:
 - हत्या और गंभीर नुकसान:** भुखमरी से मृत्यु, कंकाल जैसे बच्चे, और अस्पतालों का पतन हत्या और गंभीर नुकसान का गठन करते हैं (एमनेस्टी इंटरनेशनल, 2025)।
 - जीवन की परिस्थितियाँ:** नाकाबंदी भौतिक विनाश के लिए परिस्थितियाँ पैदा करती है, जिसमें गाजा की आधे से अधिक आबादी “विनाशकारी” भूख का सामना कर रही है (OHCHR, 2025)।

2. Mens Rea (इरादा):

- संधि को पूर्ण या आंशिक रूप से समूह (गाजा में पलस्तीनी) को नष्ट करने की मंशा की आवश्यकता होती है। योआव गैलेंट (2023), बेज़लेल स्मोट्रिच (2025), और मोशे सादा (2025) जैसे अधिकारियों के बयान गाजावासियों को भुखमरी करने की मंशा दर्शाते हैं, जैसा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और द वाशिंगटन पोस्ट (2025) द्वारा रिपोर्ट किया गया है।

इज़रायल का समर्थन करने वाले राजनीतिक नेताओं के लिए कानूनी जवाबदेही

वे राजनीतिक नेता जो चल रहे नरसंहार के मजबूत सबूतों के बावजूद इज़रायल का समर्थन करते रहते हैं, अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कानून के तहत नरसंहार और युद्ध अपराधों में सहायता और उकसाने के आरोपों का जोखिम उठाते हैं, क्योंकि उनके कार्य इज़रायल के उल्लंघनों को सुगम या सक्षम कर सकते हैं:

1. अंतरराष्ट्रीय कानून:

- नरसंहार संधि (अनुच्छेद III(e)):** नरसंहार में सहभागिता में हथियार, वित्त पोषण, या कूटनीतिक कवर जैसे भौतिक समर्थन शामिल हैं जो नरसंहारी कृत्यों को सुगम करते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों के नेता, जो इज़रायल को हथियार और सैन्य सहायता प्रदान करते हैं, यदि उनका समर्थन घेराबंदी को सक्षम करता है तो उत्तरदायी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका नरसंहार के सबूतों के बावजूद प्रति वर्ष 3 बिलियन डॉलर से अधिक सैन्य सहायता प्रदान करता है (CRS रिपोर्ट, 2025; एमनेस्टी इंटरनेशनल, 2025)।
- रोम संनियम (अनुच्छेद 25(3)(c)):** ICC उन व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकता है जो युद्ध अपराधों, जिसमें भुखमरी शामिल है, में सहायता, उकसावे या सहायता करते हैं। हथियार प्रदान करना या संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों को अवरुद्ध करना ऐसी सहायता का गठन कर सकता है। मानवाधिकार समूहों ने इज़रायल को हथियार देने में उनकी भूमिका के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के अधिकारियों की जांच के लिए बुलाया है, जिसमें भुखमरी और नरसंहार में सहभागिता का हवाला दिया गया है (द गार्जियन, 2025)।
- प्रथागत IHL:** राज्य और व्यक्ति IHL उल्लंघनों में योगदान नहीं दे सकते। बिना शर्त समर्थन प्रदान करने वाले नेता सामूहिक दंड और भुखमरी जैसे युद्ध अपराधों को सुगम करने के लिए उत्तरदायी होने का जोखिम उठाते हैं। ICJ का 2007 का **बोस्निया बनाम सर्बिया** फैसला स्थापित करता है कि अपराधियों पर प्रभाव

रखने वाले राज्यों को नरसंहार को रोकने के लिए कार्य करना चाहिए, या जिम्मेदारी का सामना करना चाहिए (ICJ, 2007)।

- **सार्वभौमिक न्यायक्षेत्र:** कुछ राज्य अंतरराष्ट्रीय अपराधों की अभियोजन की अनुमति देते हैं, चाहे वे कहीं भी हों। नेता स्पेन या बेल्जियम जैसे देशों में कानूनी कार्रवाई का सामना कर सकते हैं, जहां नरसंहार मामलों में सार्वभौमिक न्यायक्षेत्र लागू किया गया है (अल जज़ीरा, 2025)।

2. घरेलू कानून:

○ अमेरिकी कानून:

- विदेशी सहायता अधिनियम (धारा 620I) उन देशों को सैन्य सहायता प्रदान करने पर रोक लगाता है जो मानवीय सहायता को प्रतिबंधित करते हैं। इज़रायल के उल्लंघनों को अनदेखा करने वाले नेता, जैसा कि DAWN (2025) द्वारा दर्ज किया गया है, इस कानून का उल्लंघन करने के लिए घरेलू कानूनी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, विशेष रूप से सीनेटर बर्नी सैंडर्स जैसे सांसदों द्वारा सहायता निलंबित करने की मांग के मद्देनजर (सैंडर्स, 2024)।
- नरसंहार संधि कार्यान्वयन अधिनियम (18 U.S.C. § 1091) अमेरिकी नागरिकों को नरसंहार में सहभागिता के लिए अभियोजित करने की अनुमति देता है। इज़रायल को सहायता अधिकृत करने वाले अधिकारी निशाना बनाए जा सकते हैं, विशेष रूप से यदि अदालतें पाती हैं कि ऐसा समर्थन नरसंहारी कृत्यों को सुगम करता है (DAWN, 2025)।
- गैर-सरकारी संगठनों ने अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दायर किए हैं, जिसमें इज़रायल को हथियारों की बिक्री जारी रखने से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है, जिसमें संघीय अदालतों में मामले लंबित हैं (रोयटर्स, 2025)।

○ ब्रिटिश कानून:

- अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय अधिनियम 2001 ब्रिटिश नागरिकों को युद्ध अपराधों या नरसंहार में सहायता के लिए अभियोजित करने में सक्षम बनाता है। नरसंहार के सबूतों के बावजूद इज़रायल को हथियारों का निर्यात ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ कानूनी चुनौतियों को प्रेरित करता है, जिसमें कार्यकर्ता लाइसेंस रद्द करने की मांग कर रहे हैं (अल जज़ीरा, 2025)।
- ब्रिटेन का मंत्रिस्तरीय कोड अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करने की आवश्यकता रखता है, और सहभागिता को संबोधित करने में विफलता घरेलू जवाबदेही को जन्म दे सकती है, जैसा कि हथियारों की बिक्री में सार्वजनिक जांच में देखा गया है (द गार्जियन, 2025)।

○ जर्मन कानून:

- अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ अपराधों का कोड (VStGB) नरसंहार और युद्ध अपराधों में सहभागिता को अपराधी बनाता है। ICJ आदेशों के बावजूद इज़रायल को हथियारों का निर्यात जर्मन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमों को जन्म देता है, जिसमें अदालतें यह समीक्षा करती हैं कि क्या निर्यात अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन करता है (DW, 2025)।
- जर्मनी की मानवाधिकारों के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता, जो इसके होलोकास्ट के बाद के कानूनी ढांचे में निहित है, नेताओं पर सहभागिता से बचने का दबाव बढ़ाती है (जर्मन संघीय विदेश कार्यालय, 2025)।

○ अन्य न्यायक्षेत्र:

- कनाडा, फ्रांस और नीदरलैंड जैसे देश, जिनके पास अंतरराष्ट्रीय अपराधों में सहभागिता को अपराधी बनाने वाले घरेलू कानून हैं, इज़रायल का समर्थन करने वाले नेताओं की जांच के लिए बढ़ते दबाव का सामना कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, कनाडा का मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध अधिनियम हथियार निर्यात में शामिल अधिकारियों की अभियोजन की अनुमति देता है (रोयटर्स, 2025)।
- फ्रांस का दंड संहिता नरसंहार में सहभागिता के लिए प्रावधान शामिल करता है, और गैर-सरकारी संगठनों ने इज़रायल को हथियारों की बिक्री के लिए अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें दर्ज की हैं (ले मॉन्ड, 2025)।

3. केस स्टडी और मिसालें:

- **दारफुर (2009):** ICC ने सूडानी अधिकारियों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए, जिसमें नरसंहार में सहभागिता भी शामिल थी, जो भौतिक समर्थन के माध्यम से अत्याचारों को सक्षम करने वाले नेताओं के अभियोजन के लिए एक मिसाल स्थापित करती है (ICC, 2009)।

- **सेब्रेनिका (1995):** पूर्व यूगोस्लाविया के लिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण (ICTY) ने लॉजिस्टिक समर्थन प्रदान करके नरसंहार में सहायता और उकसावे के लिए व्यक्तियों को दोषी ठहराया, जो अप्रत्यक्ष योगदानों के लिए दायित्व स्थापित करता है (ICTY, अभियोजक बनाम क्रस्टिक, 2001)।
- **म्यांमार (2017):** संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों ने रोहिंग्या नरसंहार के दौरान म्यांमार को हथियार प्रदान करने वाले अंतरराष्ट्रीय अभिनेताओं की जांच के लिए बुलाया, जो राज्यों और नेताओं के लिए सहभागिता का जोखिम उजागर करता है (संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, 2018)।
- ये मिसालें सुझाती हैं कि हथियार, वित्त पोषण, या कूटनीतिक कवर के माध्यम से इजरायल का समर्थन करने वाले नेता समान जांच का सामना कर सकते हैं, विशेष रूप से जैसे-जैसे नरसंहार के सबूत बढ़ते हैं।

4. व्यावहारिक निहितार्थ:

- **ICC अभियोजन:** नवंबर 2024 में इजरायली अधिकारियों के लिए ICC के गिरफ्तारी वारंट, युद्ध अपराध के रूप में भुखमरी के लिए, एक सक्रिय जांच को दर्शाते हैं, जो समर्थन प्रदान करने वाले विदेशी नेताओं को शामिल करने के लिए विस्तार कर सकती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे गैर-सरकारी संगठनों ने ICC को अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के अधिकारियों की सहभागिता के लिए जांच करने का आग्रह किया है (एमनेस्टी इंटरनेशनल, 2025)।
- **घरेलू मुकदमे:** नेता बढ़ते घरेलू कानूनी चुनौतियों का सामना करते हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी में मुकदमे नरसंहार और युद्ध अपराधों में सहभागिता को प्रतिबंधित करने वाले राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाते हैं (रोयटर्स, 2025; DW, 2025)।
- **प्रतिष्ठा और राजनीतिक परिणाम:** नेता सार्वजनिक प्रतिक्रिया और प्रतिष्ठा को नुकसान का जोखिम उठाते हैं, जैसा कि इजरायल की कार्रवाइयों का समर्थन करने वाले अधिकारियों को निशाना बनाने वाली प्रदर्शनों और अभियानों में देखा गया है (अल जज़ीरा, 2025)।
- **प्रतिबंध और यात्रा प्रतिबंध:** सहभागिता में शामिल नेताओं को प्रतिबंधों या यात्रा प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि सूडानी और सीरियाई अधिकारियों से संबंधित मामलों में देखा गया है (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, 2011)।

5. दायित्व को ट्रिगर करने वाले सबूत:

- **एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट:** इजरायल की घेराबंदी को नरसंहारी के रूप में विस्तृत दस्तावेजीकरण, जिसमें इसे सक्षम करने वाले राज्यों के लिए जवाबदेही की मांग की गई है (एमनेस्टी इंटरनेशनल, 2025)।
- **नरसंहार विद्वानों का सर्वेक्षण:** 2024 का सर्वेक्षण जो इजरायल की कार्रवाइयों को नरसंहार के रूप में पुष्टि करता है, समर्थन करने वाले राज्यों पर दबाव बढ़ाता है (नरसंहार विद्वानों का सर्वेक्षण, 2024)।
- **ICJ आदेश:** 2024 के आदेशों के साथ इजरायल का गैर-अनुपालन नरसंहार को रोकने में विफल रहने के लिए समर्थन करने वाले राज्यों को जवाबदेह ठहराने के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है (ICJ आदेश, 2024)।
- **संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट:** संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की गाजा में “विकसित हो रहे नरसंहार” की चेतावनियाँ उन राज्यों को फंसाती हैं जो समर्थन प्रदान करना जारी रखते हैं (OHCHR, 2025)।

नरसंहार को “अपराधों का अपराध” के रूप में

नरसंहार अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत “अपराधों का अपराध” है, जो मानव इतिहास पर एक अमिट दाग है क्योंकि इसका इरादा पूरे समूहों को मिटाने का है। 1944 में राफेल लेमकिन द्वारा गढ़ा गया और 1948 की नरसंहार संधि में संहिताबद्ध, इसका उद्देश्य होलोकोस्ट जैसी अत्याचारों को रोकना है। नरसंहार संधि, R2P, और अमेरिकी विदेशी सहायता अधिनियम जैसे घरेलू कानून नरसंहार को रोकने और दंडित करने की कानूनी और नैतिक अनिवार्यता लागू करते हैं, जिसमें राज्य और नेता निष्क्रियता या सहभागिता के लिए जवाबदेह होते हैं।

दक्षिण अफ्रीका के ICJ मामले के लिए समर्थन

दक्षिण अफ्रीका का मामला, जो 30 से अधिक राज्यों द्वारा समर्थित है, ICJ आदेशों के साथ इजरायल के गैर-अनुपालन, अंतरराष्ट्रीय समर्थन, मानवीय सबूतों और ICC कार्रवाइयों से मजबूत होता है। इजरायल का समर्थन करने वाले राजनीतिक नेताओं के खिलाफ आरोपों का जोखिम इस संकट को संबोधित करने की तात्कालिकता को रेखांकित करता है।

निष्कर्ष

मार्च 2025 से गाजा पर इज़रायल की पूर्ण घेराबंदी नरसंहार का गठन करती है, जो अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून, यहूदी कानून, और ICJ उपायों का उल्लंघन करती है। नरसंहार संधि और R2P राज्यों पर नरसंहार को रोकने और दंडित करने के लिए सख्त दायित्व लागू करते हैं, जिनका उल्लंघन इज़रायल और इसके समर्थक जोखिम में डालते हैं। वे राजनीतिक नेता जो हथियार, वित्त पोषण, या कूटनीतिक कवर के माध्यम से इज़रायल का समर्थन करते रहते हैं, नरसंहार के मजबूत सबूतों के बावजूद, अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कानून के तहत नरसंहार और युद्ध अपराधों में सहायता और उकसाने के आरोपों का सामना कर सकते हैं, जिसमें अमेरिकी विदेशी सहायता अधिनियम, ब्रिटेन का ICC अधिनियम, और जर्मनी का VStGB शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इन अत्याचारों को रोकने और न्याय को बनाए रखने के लिए निर्णायक रूप से कार्य करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि इस संकट में इज़रायल के साथ खड़े लोग अदालत में जवाबदेही का सामना करें।

प्रमुख उद्धरण

- UNRWA स्थिति रिपोर्ट #172
- एमनेस्टी इंटरनेशनल: इज़रायल की घेराबंदी
- OHCHR: विकसित हो रहा नरसंहार
- ICJ आदेश 2024
- स्मोटरिच बयान
- DAWN: धारा 620I
- सैंडर्स: विदेशी सहायता अधिनियम
- ICC गिरफ्तारी वारंट
- बोस्निया बनाम सर्बिया
- 2005 विश्व शिखर सम्मेलन परिणाम
- ह्यूमन राइट्स वॉच: गाजा में IHL